संख्या-421/2020/410/22-2-2020-17(1150)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर, 2020**

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालता प्रसाद पुत्र श्री रामप्रसाद, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7904/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-26-02-2020) दिनांक-18-03-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालता प्रसाद पुत्र श्री रामप्रसाद, मोहम्मद गंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। रामस्वरूप की पत्नी के प्रधानी का चुनाव हारने की रंजिश में बन्दी ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 10.03.2001 को सायं लगभग 05:00 बजे क्रेशर पर बैठे लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। बचने के लिए कुछ कोठरी में घुस गये, कुछ खेत में भाग गये, तभी कोठरी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। आग से बचने के लिए भागने पर लोगो पर फायरिंग कर 05 व्यक्तियों की हत्या की एवं 07 अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल किया जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212 230/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 436/149, 506, 148 एवं 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.01.2020 तक 18 वर्ष 10 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 02 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध के व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकने, पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने, गांव में विवाद अभी विद्यमान होने, समयपूर्व रिहाई से कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने रामस्वरूप की पत्नी के प्रधानी चुनाव हारने की रंजिश में अपने 36 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 10.03.2001 को क्रेशर पर बैठे लोगों के ऊपर फायरिंग कर 05 व्यक्तियों की हत्या करने एवं 07 अन्य को गंभीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी लालता प्रसाद पुत्र श्री रामप्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी लालता प्रसाद (बन्दी संख्या-39013) पुत्र श्री रामप्रसाद, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-421/2020/410(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-421/2020/410/22-2-2020-17(1150)/2019

दिनांक 30 सितम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालता प्रसाद (बन्दी संख्या-39013) पुत्र श्री रामप्रसाद, मोहम्मद गंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। रामस्वरूप की पत्नी के प्रधानी का चुनाव हारने की रंजिश में बन्दी ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 10.03.2001 को सायं लगभग 05:00 बजे क्रेशर पर बैठे लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। बचने के लिए कुछ कोठरी में घुस गये, कुछ खेत में भाग गये, तभी कोठरी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। आग से बचने के लिए भागने पर लोगो पर फायरिंग कर 05 व्यक्तियों की हत्या की एवं 07 अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल किया जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212 230/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 436/149, 506, 148 एवं 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.01.2020 तक 18 वर्ष 10 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 02 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध के व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकने, पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने, गांव में विवाद अभी विद्यमान होने, समयपूर्व रिहाई से कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने रामस्वरूप की पत्नी के प्रधानी चुनाव हारने की रंजिश में अपने 36 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 10.03.2001 को क्रेशर पर बैठे लोगों के ऊपर फायरिंग कर 05 व्यक्तियों की हत्या करने एवं 07 अन्य को गंभीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी लालता प्रसाद पुत्र श्री रामप्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in